अस्वीकृत

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :— 95/18—19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा—46)

नरेन्द्र भेंगरा — विक्रेता

अतेन भेंगरा — क्रेता

वाद की क्रम संख्या और तारीख		
22.06.18	आवेदक नरेन्द्र भेगरा पिता स्व0 बेनेदिक भेंगरा ग्राम खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के द्वारा निम्नलिखित भूमि को क्रेता अतेन भेंगरा पिता पावल भेंगरा ग्राम खूँटी टोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा को विक्रय करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।	

जमीन का विवरण

ग्राम	थाना नं.	खाता नं0	खेसरा/प्लॉट नं0	रकवा (एकड़ में)
खूँटी	83	03	1395	0.10

आवेदक/आवेदिका ने अपने आवेदन पत्र में यह स्पष्ट किया है कि उपर्युक्त भूमि उनकी रैयती हक—हिस्से/स्वामित्व की भूमि है।

प्राप्त आवेदन पत्र की एक प्रति एवं आम इशितहार की दो प्रति अंचल अधिकारी, खूँटी को भेजें एवं जांच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी, खूँटी दिनांक 09.07.18 तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

क्रे ता एवं वि क्रे ता अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड/आवासीय प्रमाण पत्र न्यायालय में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। अभिलेख दिनांक 09.07.18 को रखे।

22.6.2018

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
खूँटी।

09.07.18 उभय पक्ष अनुपस्थित। लिखित की तामिला का प्रतिवेदन अप्राप्त। अगली तिथि को रखें।

12.07.18 उभय पक्ष उपस्थित। लिखित की तामिला का प्रतिवेदन प्राप्त। उभय पक्ष को बाध्य करें आवासीय प्रमाण पत्र जमा [illegible] मूल आवासीय प्रमाण पत्र की माँग करें।

...ालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 95/2018–19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

नरेन्द्र भेंगरा – विक्रेता

अतेन भेंगरा – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
22.10.18	

आदेश

आवेदक नरेन्द्र भेंगरा पिता स्व0 बेनेदिक भेंगरा ग्राम खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने अतेन भेंगरा पिता पावल भेंगरा ग्राम खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
खूँटी	83	03	1395	0.10

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0122729 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 617 दिनांक 12.07.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खरीदगी है। खतियानी रैयत का नाम वकास्त मालिक नाम लगान पाने वाले बड़ाईक हरगोबिन्द सिंह हैं। पंजी II के अनुसार नरेन्द्र भेंगरा वगैरह है। आवेदक के पास रकवा 0.65 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 161314.00(एक लाख एकसठ हजार तीन सौ चौदह)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 0.55 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन के श्रेणि में आ जाते हैं।

आवेदक के द्वारा अन्य अंचल में भूमि होने का साक्ष्य के रूप में भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र नहीं दिये है।

अतः आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन को अस्वीकृत की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

22/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

22/10/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।